मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम, 1947

[1948 **का क्रमांक** 1]

विषय - सूची

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

2. परिभाषाएं

अध्याय-2

भन्डार गृहों को लाइसेन्स देना

3. भंडार गृह का भण्डारी

4. लाइसेन्स का प्रदाय

5. लाइसेन्स के प्रदाय की शर्तें

6. भंडारगृह के भंडारी के लाइसेन्स का निलम्बन अथवा निरस्तीकरण

7. लाइसेन्स के निरस्तीकरण का नोटिस

8. डुप्लीकेट लाइसेन्स

अध्याय-3

भंडारहगृह वाले कर्तव्य

9. भंडारित उपज की युक्तियुक्त देखभाल

10. उपज की पहचान बनाए रखना

11. उपज का भंडारगृह में सडना और उसका निपटारा

12. उपज को सौंपना

13. भंडारगृह में भंडारित उपज का बीमा

14. भंडारगृह में भंडार हेूतु खर्चा अनुसूचित प्राथमिकता के बिना लेना

15. भंडारी अपने भंडारगृह में रखी उपज हेतु राशि उधार नहीं देगा

अध्याय-4

भंडारगृह की रसीदें

16. रसीद जारी करना

17. सौंपने द्वारा रसीद का अन्तरण योग्य होना

18. डुप्लीकेट रसीद

अध्याय -5

उपज का निरीक्षण और वर्गीकरण

19. निरीक्षण

20. लाइसेन्स प्राप्त तौलने वाले, सेम्पल करले वाले और श्रेणी कर करने वाले

21. तौलने वाले, सेम्पल करने वाले और श्रेणी करने वाले के लाइसेन्स का निरस्तीकरण

22. डुप्लीकेट

अध्याय 6

विविध

23. दण्ड

24. नियम

मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम, 1947

[1948 **का क्रमांक** 1]

[गर्वनर जनरल की स्वीकृति 30 दिसम्बर, 1947 को प्राप्त हुई स्वीकृति का मध्य प्रान्त एवं बराबर राजपत्र असाधारण दिनांक 5 जनवरी, 1948 में प्रथम प्रकाशन हुआ]

कृषि एपज के भण्डारण हेतु भण्डारगृहों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उनके उचित निरीक्षण और नियन्त्रण का प्रावधान करने हेतु अधिनियम ।

प्रारंभिक – जबकि कि कृषि उपज के भण्डारण हेतु भण्डारगृहों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और उनके उचित निरीक्षण और नियंत्रण हेतु प्रावधान करना सामयिक है;

अत: इसे एतदद्वारा निम्नानुसार अधिनियम किया जाये—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम**, **विस्तार और प्रारंभिक**—(1) यह अधिनियम मध्य प्रदेश भण्डार गृह अधिनियम; 1947 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा

(3) यह महाकौशल क्षेत्र में प्रभावशील होगा और राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में यह ऐसे दिनांक से प्रभावशील होगा, जो राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(अ) "जमा करने वाला" अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो भण्डारी को उसके भण्डार गृह में भण्डारण हेतु कृषि उपज अर्पित करता है और उसमें अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जो ऐसी उपज के विषय में भंडारी द्वारा जारी की गई रसीद का वैध धारक है और जमा करने वाले अथवा उसके वैध अंतरणी द्वारा उसके पक्ष में समर्थन अथवा अन्तरण द्वारा उस पर स्वत्व प्राप्त करता है ।

(आ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित ।

(इ) "बिहित प्राधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जिसे राज्य शासन नियमों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्यों के पालन हेतु विहित करे ।

(ई) भंडारगृह से अभिप्रेत है भवन अथवा आरक्षित घेरा जिसका प्रयोग कृषि उपज में भंडारण के अभिप्राय हेतु किया जाता है अथवा किया जा सकता है ।

(उ) "भंडारी" से अभिप्रेत है वह व्यकित जो इस अधिनियम के अंतर्गत इस रूप में भंडारगृह का संचालन करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त हो ।

अध्याय-2

भण्डारगृहों को लाइसेन्स देना

2. **भण्डारी**—(1) प्रत्येक गृह हेतु एक भंण्डारी रहेगा

(2) कोई व्यक्ति भंडारी का व्यसाय नहीं करेगा सिवाय इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेन्स प्राप्तकर्ता के और ऐसी शर्तों और अनुबंधों के अनुरूप जो समय समय पर इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित किये जायें ।

(3) लाइसेन्स ऐसी अवधि हेतु वैध रहेगा जो विहित की जाये ।

4. लाइसेन्स का प्रदान—(1) लाइसेनस हूतु आवेदन विहित प्रारूप में विहित प्राधिकारी को दिया जायेगा।

(2) विहित प्राधिकारी ऐसा आवेदन किये जाने पर, जो विहित कया जाए लाइसेन्स का प्रदान अथवा नवीनीकरण कर सकेगा ।

5. लाइसेन्स के प्रदाय की शर्तें— लाइसेन्स प्रदान करने के पूर्व प्रधिकारी संतुष्ट कर लेगा—

(एक) यह कि भण्डारगृह कृषि उपज के उचित भंण्डारण हेतु उपयोगी है, जिसके विषय में लाइसेन्स के प्रदाय आवेदन किया गया है;

(दो) यह कि आवेदक ऐसे भण्डारण का संचालन करने में सक्षम है;

(तीन) यह कि ऐसा कोई कारण विद्‌यमान नहीं है जिससे विहित प्राधिकारी के में आवेदक को लाइसेन्स धारण करने हेतु अयोग्य माना जाये; और

(चार) यह कि आवेदक ने ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत की है जो विहित की जाये ।

6. **भण्डारी के लाइसेन्स का निलम्बन अथवा निरस्तीकरण**- (1) प्रत्सेक लाइसेन्स अत्र पश्चात् प्रावधानों के अनुसार लिखित में कारणों को दर्शाते हुए विहित प्राधिकारी द्‌वारा निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकेगा और विशेष रूप में यदि भण्डारी –

(अ) दिवालिया घोषित कर दिया है;

(आ) भण्डारगृह पर संपूर्ण से अथवा अंशत: नियंत्रण छोड दिया है;

(इ) ऐसे भण्डारगृह का संचालन छोड दिया है;

(ई) भण्डार के रूप में उसके द्‌वारा की गई सेवाओं हेतु अत्यधिक अथवा अनुचित खर्च लिया है;

(उ) किसी अन्य रीति में भंडारी के व्यवसाय का संचालन करनें में सक्षम नहीं रहा है;

(ऊ) उसने लाइसेन्स के किसी अनुबन्ध अथवा इस नियम के किसी प्रावधान और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों का उलल्घन किया है ।

(2) राज्य शासन कोई अन्य कारण विहित कर सकेगा जिससे लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किया जाए ।

(3) यदि लाइसेन्स निलंबित अथवा निरस्त कर दिया जाता है तो विहित प्राधिकारी उस तथ्य की लाइसेन्स में कर देगा ।

7. लाइसेन्स के निरस्तीकरण का सूचना पत्र – (1) किसी लाइसेन्स के निरस्त करने के पूर्व विहित प्राधिकारी भण्डारी को सूचना पत्र देगा जिसमें उन आधारों का कथन होगा जिन पर उसका लाइसेन्स निरस्त किया जाना प्रस्तावित है और 15 दिन के अंदर उसे कारण बताने हेतु कहा जायेगा क्यों न उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाए।

(2) भंडारी के स्पष्टीकरण पर विचार किये जाने के पश्चात, यदि कोई हो, विहित प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित करेगा जो उसे न्यायिक प्रतीक हो।

(3) किसी भी समय कारणों को लिखित में दर्शाते हुये विहित प्राधिकारी किसी लाइसेन्स को निलंबित कर सकेगा ।

(4) यदि किसी भण्डारी का लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त कर दिया जाता है तो निलम्बन अथवा निरस्तीकरण करने वाले प्राधिसकारी को यह अधिकार होगा कि वह भंडारण को ऐसी अवधि हेतु और ऐसी शर्तो और अनुबंधों पर अपने हाथ में ले ले जो विहित किया जाए, एक डुप्लीकेट लाइसेन्स जारी कर सकेगा ।

8. डुप्लीकेट लाइसेन्स – (1) यदि किसी भंडारी को प्रदत्त लाइसेन्स खो जाए नष्ट हो जाये, कट-पिट अथवा अन्यथा पढने योग्य न रहे तो विहित प्राधिकारी ऐसे शुल्क के चुकाये जाने पर जो विहित किया जाये, एक डुप्लीकेट लाइसेन्स जारी किया जा सकेगा ।

(2) जब डुप्लीकेट लाइसेन्स जारी किया जाये उस पर "डुप्लीकेट" मुहर लगायी जानी चाहिये और डुप्लीकेट जारी किये जाने का दिनांक अंकित किया जाना चाहिये और जारी करने वाले कार्यालय के रिकार्ड से मूल लाइसेन्स जारी करने का दिनांक अंकित किया जाना चाहिये ।

अध्याय-3

भंडारी कर्तव्य

9. भण्डारित उपज की उचित देखरेख – प्रत्येक भण्डारी उसके भंडारगृह में भंडारित उपज की वैसी देख रेख केरगा जैसे एक साधारण विवेक वाला व्यक्ति वैसी परिस्थितियों में स्वयं की उपज करता है ।

10. उपज की पहचान बनाये रखना— प्रत्येक भंडारी प्रत्येक जमा करने वाले की उपज की अलग पहचान रखने की सावधानी बरतेगा जिससे वह उसे हर समय पहचान सके और जमा करने वाले द्वारा मांग किये जाने पर बिना अनुचित विलम्ब के, दे सकेगा:

परन्तु यह कि जहां किसी भण्डारगृह में प्रमाणिक (स्टेन्डर्डाइज्ड) और श्रेणीबद्ध (ग्रेडिड) उपज भण्डारित की जाती है, तो भण्डारी और जमा करने के बीच किसी करार के अध्यधीन, वहां कई जमा करने वालों की एक ऐसी श्रेणी के उपज के ढेर हो सकेंगे और प्रत्येक जमा करने वाला वजन अथवा विशेषता के अनुरूप अपने अंश की उपज पाने का अधिकारी होगा जैसी रसीद में दर्शाई गई हो।

11. भण्डारगृह में उपज का सडना और उसका निपटारा – (1) जब कभी भण्डारगृह में भंडारित उपज, भंडारी के नियन्त्रण के बाहर के कारणों से, सड़ने लगे तो वह यथाशीघ्र ऐसे सडने का सूचना-पत्र जमा करने वाले जो देगा जिसमें अपेक्षा करेगा कि वह अपनी रसीद वापस करे और भंडारगृह की बाकी दे कर उसे उठा लें ।

(2) युक्तियुक्त समय के अन्दर सूचना-पत्र का पालन जमा करने वाले द्वारा नहीं किये जाने की दशा में भंडारी ऐसी उपज को अपने भंडारगृह से हटवाने और जमा करने वाले व्यय और जोखिम पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा विकवा सकेगा ।

(3) कण्डिका (1) के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित सूचना पत्र की एक प्रति भंडारी द्वारा उन बैक को दी जायेगी जिसकी ओर से जमा करने वाले की उपज उसके भंडागृह में भंडारित है ।

12. उपज को लौटाना – प्रत्येक भंडारी किसी युक्तियुक्त अथवा वैधानिक कारण के अभाव में बिना अनुचित विलम्ब के उसके भण्डारगृह में भंडारित उपज जमा करने वाले की वैध मांग पर और भण्डारगृह की रसीद दिये जाने पर और भंडारी को देय खर्चे के भुगतान पर, सौंप देगा और भण्डारी और जमा करने वाले के बीच किसी करार के अध्यधीन जमा करने वाला भण्डारगृह में भण्डारित उसकी उपज का एक अंश उठा सकेगा ।

13. भंडारगृह में भण्डारित उपज का बीमा – प्रत्येक भण्डारी अपने भण्डारगृह में भण्डारित उपज का बीमा ऐसे जोखिम और ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति में करायेगा जो विहित की जाये ।

14. उपज को भण्डारित करने हेतु बिना अनुचिन प्राथमिकता के खर्च लिया जायेगा – कोई भंडारी अपने व्यवसाय के संचालन के दौरान किसी व्यक्ति को अनुचित प्राथमिकता नहीं देगा परन्तु अपने भण्डारगृह में उपज को भण्डारित करने हेतु खर्च में से ऐसे खर्च ले सकेगा जो उसके अैर जमा करने के बीच तय हो जाये और यह खर्च उसके लाइसेन्स में दी गई शर्तो द्वारा अधिरोपित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे ।

15. भण्डारी उसके भण्डारगृह में रखी उपज उधार राशि नहीं देगा— कोई भण्डारी अपने ओर से अथवा अन्यों की ओर से उस उपज पर कोई लेन देन नहीं करेगा अथवा राशि उधार नहीं देगा, जो उसे उसके भण्डारगृह में रखने हेतु प्राप्त होगी:

परन्तु यह कि यह धारा, सरकारी समितियों पर अथवा कृषि उपज, (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 28) के अंतर्गत स्थापित भण्डार निगमों पर, ऐसी समितियों और नियमों के स्वामित्व में और संचालित भण्डारगृह के संबंध में, लागू नहीं होगी ।

अध्याय 4

भण्डारगृह की रसीदें

16. **रसीद जारी किया जाना**— भण्डारी विहित प्रारूप में, प्रत्येक जमा करने वाले द्वारा उसके भण्डारण में भण्डारित उजप के संबंध में पूरे ब्यौरे देते हुए, रसीद जारी करेगा ।

17. **रसीद समर्थन द्वारा अन्तरण योग्य रहेगी**— ऐसी रसीद अथवा धारा 18 के अंतर्गत जारी की गई डुप्लीकेट रसीद, जब तक अन्यथा विहित न हो, समर्थन द्वारा अंतरण योग्य रहेगी और उसे वैधानिक धारक को अधिकार होगा कि वह उल्लेखित माल को उन्ही शर्तो और अनुबंधो पर प्राप्त कर ले जिन पर जमा करने वाला प्राप्त करता जिसने जिसने मूल रूप में उपज जमा की है ।

18. **डुप्लीकेट रसीद**— (1) जहां भण्डारी द्वारा जारी की गई रसीद खो जाए, नष्ट हो जाये, फट जाये, कट –फिट जाये अथवा अन्यथा पढने योग्य न रहे तो विहित प्राधिकारी, इस हेतु बनाये गये नियमों के अध्यधीन, डुप्लीकेट रसीद देगा ।

(2) जब डुप्लीकेट रसीद जारी की जाये, इस पर स्पष्ट " डुप्लीकेट" की मुहर लगाई जायेगी और डुप्लीकेट जारी किये जाने का दिनांक डाला जायेगा और मूल्य रसीद जारी किये जाने का कार्यालय से उपलब्ध रिकार्ड पर से डाला जायेगा ।

अध्याय-5

उपज का निरीक्षण और वर्गीकरण

19. निरीक्षण— विहित प्राधिकारी, किसी भी समय कार्य के घन्टों में इस अधिनियम के अर्न्तगत लाइसेन्स प्राप्त किसी भण्डारगृह का भण्डारित उपज, लेखा पुस्तको और रिकार्डो का निरीक्षण, स्वयं की संतुष्टि के अभिप्राय से, कर सकेगा अथवा किसी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा कि अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है ।

20. लाइसेन्स प्राप्त तौल करने वाले, प्रतिचयक (सेम्पलर) और श्रेणीकारक (ग्रेडर)— (1) विहित प्राधिकारी, योग्यता प्राप्त सक्षम व्यक्तियों को तौल करने वाले, प्रतिचयक और श्रेणी कारक का कार्य करने हेतु, लाइसेन्स दे सकता है ताकि वे भण्डारगृह में भण्डारगृह में भण्डारित अथवा भण्डारित की जाने वाली उपज के, जिसका निरीक्षण उन्होने किया हो, और उसके तौल विशेषता और श्रेणी के प्रमाण पत्र जारी किये गये प्रमाण पत्र भण्डारी और जमा करने पर आबद्ध कर होंगे ।

(2) भण्डारी, उसके भण्डारगृह में भण्डारित उपज की सूखने अथवा अन्य कारणों से कमी हेतु, जो उसके नियंत्रण के बाहर है, उत्तरदायी नहीं होगा ।

(3) भण्डारी उसके भण्डारगृह में भण्डारित उपज में सीढन को सोखने के कारण हुई बढोत्तरी का अधिकार नहीं होगा ।

(4) ऐसे विवाद उत्पन्न होने की दशा में कमी अथवा बढोत्तरी सूखने अथवा सीड़न को सोखने से हुई अथवा ऐसे कारणों से हुई जो भण्डारी के नियंत्रण के बाहर थे अथवा तौल करने वाले प्रतिचयक अथवा श्रेणीकारक के कार्यो पर विवाद उत्पन्न होने की दशा में और विशेषता, परिचयन और तौल के विषय में किसी प्रकार के विवादों के विहित प्राधिकारी के समक्ष रखा जायेगा और उस मामलें में उसका निर्णय अंतिम और आबद्धकर होगा ।

21. तौल करने वाले, प्रतिचयक और श्रेणीकारक के लाइसेन्स का निलम्बन अथवा निरस्तीकरण— (1) इस हेतु बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुये, किसी तौल करने वाले प्रतिचयक अथवा श्रेणीकारक को प्रदत्त प्रत्येक लाइसेन्स, विहित प्रधिकारी द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकेगा ।

(2) यदि कोई लाइसेन्स निलंबित निरस्त किया जाता है तो विहित प्राधिकारी उसकी प्रविष्ट लाइसेन्स पर कर देगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो लाइसेन्स प्राप्त नहीं है, स्वयं को ऐसा नहीं बतायेगा और न लाइसेन्स प्राप्त तौर करने वाले, प्रतिचयक और श्रेणीकारक के रूप में कार्य करेगा ।

22. **डुप्लीकेट**- (1) जब किसी तौल करने वाले, प्रतिचयक अथवा श्रेणीकार को प्रदत्त लाइसेन्स खो जायें, नष्ट हो जायें, फट जाय, कट –पिट जाये अथवा अन्यथा पढ़ने योग्य न रहे तो विहित प्राधिकारी, जो विहित किया जाये, डुप्लीकेट लाइसेन्स जारी कर सकेगा ।

(2) जब डुप्लीकेट लाइसेन्स जारी किया जाये, इस पर स्पष्ट " डुप्लीकेट" की मुहर डुप्लीकेट जारी किये जाने का दिनांक डाला जायेगा और मूल लाइसेन्स जारी किये जाने का दिनांक, कार्यालय से उपलब्ध रिकार्ड पर से डाला जायेगा ।

अध्याय -6

विविध

23. दंड— कोई व्यक्ति, जो जानकारी रहते और जानबूझकर, इस अधिनियम अथवा इसके अंर्तगत बनाये गये नियमों के प्रावधानों अथवा अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है, दण्डाधिकारी दोषसिद्धि पर, तीन वर्ष के कारावास से अथवा अर्थ दंड से अथवा दोंनो से दंडित किया जायेगा:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अंर्तगत अपराध, न्यायालयस की सहमति से राजीनामा योग्य रहेंगे ।

24. **नियम**— (1) राज्य शासन, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इन अधिनियम के प्रावधानों को कार्यरूप देने हेतु, नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्ट एवं पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, ऐसे नियमों में निम्न अथवा सभी किन्ही विधियों पर उपबन्ध हो सकेंगे –

(अ) विहित किये जाने वाले सभी विषयों के संबंध में अथवा जिनके लिये इस अधिनियम के अंर्तगत नियम बनाया जाता है;

(आ) इस नियम के अंर्तगत कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकारी;

(इ) भण्डारी को लाइसेन्स के प्रदाय हेतु आवेदन का प्रारूप, लाइसेन्स की अवधि, उसकी शर्ते और उसका नवीनीकरण;

(ई) भण्डारी द्वारा जारी की जाने वाली रसीद का प्रारूप, उसमें दिये जाने वाले व्यौरे और डुप्लीकेट रसीद की जाने की शर्तें;

(उ) भण्डारी द्वारा रखे जाने वाली लेखा पुस्तके और रिकार्डो की प्रक्रति;

(ऊ) इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना पत्र देने की रीति;

(ओ) किसी भण्डारगृह में सड रही उपज के विक्रय हेतु सार्वजनिक नीलामी के संचालन की रीति और ऐसी विक्रय राशि के लेखा रखने के संबंध में;

(औ) तौल करने वालों, प्रतिचयकों और श्रेणीकारकों की योग्ताएं और उनकी लाइसेन्स का प्रदाय, उनके लाइसेन्सों की शर्तों, और अवधि उनके द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों का प्ररूप, उनके लाइसेन्सों का नवीनीकरण, स्थितियां जिनके अंर्तगत उनके लाइसेन्स निलिंबित अथवा निरस्थ किये जा सकेंगे;

(क) इस अधिनियम के अंर्तगत लाइसेन्सों के प्रदाय हेतु और उनके नवीनीकरण अथवा डुप्लीकेट लाइसेन्स जारी करने हेतु शुल्क की राशि;

(ख) इस अधिनियम के अंर्तगत भण्डारगृहों में प्रयोग किये जाने प्रमाणिक तौल, नाप, वर्गीकरण, प्रतिचयन और उपज को भण्डारित करने के तरीके;

(ग) लाइसेन्स के प्रदाय, निलम्बन अथवा निरस्तीकरण का और लाइसेन्स प्राप्त भण्डार गृहों की सूची का प्रकाशन; और

(घ) सामान्य रूप से भण्डारों के व्यवसाय के सुयोग्य संचालन हेतु ।